



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092025-266392
CG-DL-E-25092025-266392

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4195]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 23, 2025/आश्विन 1, 1947

No. 4195]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 23, 2025/ASVINA 1, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2025

का.आ. 4313(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में NH53 के कि.मी. 43+500 से कि.मी.79+000 सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन) एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अभनपुर तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अभनपुर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में NH53 के कि.मी. 43+500 से कि.मी.79+000 सक्षम प्राधिकारी (भू -अर्जन) एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अभनपुर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: छत्तीसगढ़			जिले का नाम: रायपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: अभनपुर					
गांव का नाम: कोलर					
1	293/10	निजी	धनहा सिंचित	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
2	293/2	निजी	धनहा सिंचित	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
3	293/8	निजी	धनहा सिंचित	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
4	293/9	निजी	धनहा सिंचित	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
5	294/10	निजी	धनहा असिंचित	0.174 (हेक्टेयर)	0.174
6	294/20	निजी	धनहा सिंचित	0.0875 (हेक्टेयर)	0.0875
7	294/23	निजी	धनहा सिंचित	0.08 (हेक्टेयर)	0.08
8	294/29	निजी	धनहा सिंचित	0.034 (हेक्टेयर)	0.034
9	294/4	निजी	धनहा असिंचित	0.075 (हेक्टेयर)	0.075
10	294/40	निजी	धनहा सिंचित	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
11	294/41	निजी	धनहा सिंचित	0.048 (हेक्टेयर)	0.048
12	294/42	निजी	धनहा सिंचित	0.048 (हेक्टेयर)	0.048
13	294/43	निजी	धनहा सिंचित	0.012 (हेक्टेयर)	0.012
14	294/44	निजी	धनहा सिंचित	0.048 (हेक्टेयर)	0.048
15	294/45	निजी	धनहा सिंचित	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
16	294/46	निजी	धनहा सिंचित	0.04 (हेक्टेयर)	0.04

17	294/47	निजी	धनहा सिंचित	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
18	294/48	निजी	धनहा सिंचित	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
19	313/16	निजी	धनहा असिंचित	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
20	315/3	निजी	धनहा असिंचित	0.098 (हेक्टेयर)	0.098
21	54/17	निजी	पड़त	0.028 (हेक्टेयर)	0.028
22	54/6	निजी	धनहा सिंचित	0.012 (हेक्टेयर)	0.012
गांव का नाम: बिरोदा					
23	30/2	निजी	सिंचित एक फसली	0.049 (हेक्टेयर)	0.049
24	31/14	निजी	धनहा सिंचित एक फसली	0.073 (हेक्टेयर)	0.073
25	31/15	निजी	धनहा सिंचित एक फसली	0.19 (हेक्टेयर)	0.19
26	317/8	निजी	धनहा सिंचित एक फसली	0.057 (हेक्टेयर)	0.057
27	317/9	निजी	धनहा सिंचित एक फसली	0.052 (हेक्टेयर)	0.052
28	336/4	निजी	धनहा सिंचित एक फसली	0.109 (हेक्टेयर)	0.109
29	336/8	निजी	धनहा सिंचित एक फसली	0.109 (हेक्टेयर)	0.109
30	336/9	निजी	धनहा सिंचित एक फसली	0.109 (हेक्टेयर)	0.109
31	35/5	निजी	धनहा सिंचित एक फसली	0.082 (हेक्टेयर)	0.082
32	35/7	निजी	धनहा सिंचित एक फसली	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
33	408/1	निजी	धनहा सिंचित एक फसली	0.023 (हेक्टेयर)	0.023
34	412/4	निजी	धनहा सिंचित एक फसली	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
गांव का नाम: केन्दरी					
35	347/4	निजी	सिंचित एक	0.0086 (हेक्टेयर)	0.0086

			फसली		
36	347/5	निजी	सिंचित एक फसली	0.061 (हेक्टेयर)	0.061
37	348/1	निजी	सिंचित एक फसली	0.012 (हेक्टेयर)	0.012
38	351/1	निजी	सिंचित एक फसली	0.034 (हेक्टेयर)	0.034
39	356/2	निजी	सिंचित एक फसली	0.0171 (हेक्टेयर)	0.0171
40	358/2	निजी	सिंचित एक फसली	0.0425 (हेक्टेयर)	0.0425
41	358/3	निजी	सिंचित एक फसली	0.0378 (हेक्टेयर)	0.0378
42	393/2 392/2	निजी	सिंचित एक फसली	0.0408 (हेक्टेयर)	0.0408
43	399/1	निजी	सिंचित एक फसली	0.0171 (हेक्टेयर)	0.0171
44	399/2	निजी	सिंचित एक फसली	0.0437 (हेक्टेयर)	0.0437
45	400/2	निजी	सिंचित एक फसली	0.0504 (हेक्टेयर)	0.0504
46	400/4	निजी	सिंचित एक फसली	0.0285 (हेक्टेयर)	0.0285
47	400/5	निजी	सिंचित एक फसली	0.0216 (हेक्टेयर)	0.0216
48	400/6	निजी	सिंचित एक फसली	0.054 (हेक्टेयर)	0.054
49	400/7	निजी	सिंचित एक फसली	0.0476 (हेक्टेयर)	0.0476
50	405/1	निजी	सिंचित एक फसली	0.056 (हेक्टेयर)	0.056
51	405/3	निजी	इरिगेटेड सिंगल क्रॉप	0.0392 (हेक्टेयर)	0.0392
52	405/5	निजी	सिंचित एक फसली	0.0408 (हेक्टेयर)	0.0408

53	405/6	निजी	सिंचित एक फसली	0.048 (हेक्टेयर)	0.048
54	412/2	निजी	सिंचित एक फसली	0.0704 (हेक्टेयर)	0.0704
55	412/5	निजी	सिंचित एक फसली	0.066 (हेक्टेयर)	0.066
56	413/5	निजी	सिंचित एक फसली	0.066 (हेक्टेयर)	0.066
57	415/1	निजी	सिंचित एक फसली	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
58	416/2	निजी	सिंचित एक फसली	0.0007 (हेक्टेयर)	0.0007
59	416/4	निजी	सिंचित एक फसली	0.0024 (हेक्टेयर)	0.0024
60	417/1	निजी	सिंचित एक फसली	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
61	417/3	निजी	सिंचित एक फसली	0.048 (हेक्टेयर)	0.048
62	420/6	निजी	सिंचित एक फसली	0.009 (हेक्टेयर)	0.009
63	420/7	निजी	सिंचित एक फसली	0.0168 (हेक्टेयर)	0.0168
गांव का नाम: झांकी					
64	16/1	निजी	सिंचित एक फसली	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
65	545/13	निजी	पड़त	0.015 (हेक्टेयर)	0.015
66	598/1	निजी	सिंचित एक फसली	0.041 (हेक्टेयर)	0.041
67	603	निजी	पड़त	0.24 (हेक्टेयर)	0.24
68	604	निजी	पड़त	0.28 (हेक्टेयर)	0.28
Total					3.5985

[फा. सं. 597/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2025

S.O. 4313(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (here in after referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is **required for** building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH53 in the stretch of land from Km. 43+500 to Km. 79+000 (CALA CUM SDO ABHANPUR) (Durg - Raipur Section, Package B) in the district of RAIPUR in the state of CHHATTISGARH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the afore said purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, SDO Abhanpur in writing and shall set out the grounds there of and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH53 in the stretch of land from Km. 43+500 to Km. 79+000 (CALA CUM SDO ABHANPUR) (Durg - Raipur Section, Package B) in the district of RAIPUR in the state of CHHATTISGARH

State: CHHATTISGARH			District: RAIPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Abhanpur					
Village: KOLAR					
1	293/10	Private	Dhanha Irrigated	0.02 (Hectare)	0.02
2	293/2	Private	Dhanha Irrigated	0.02 (Hectare)	0.02
3	293/8	Private	Dhanha Irrigated	0.02 (Hectare)	0.02
4	293/9	Private	Dhanha Irrigated	0.02 (Hectare)	0.02
5	294/10	Private	Dhanha Non-Irrigated	0.174 (Hectare)	0.174
6	294/20	Private	Dhanha Irrigated	0.0875 (Hectare)	0.0875
7	294/23	Private	Dhanha Irrigated	0.08 (Hectare)	0.08
8	294/29	Private	Dhanha Irrigated	0.034 (Hectare)	0.034
9	294/4	Private	Dhanha Non-Irrigated	0.075 (Hectare)	0.075
10	294/40	Private	Dhanha Irrigated	0.04 (Hectare)	0.04
11	294/41	Private	Dhanha	0.048 (Hectare)	0.048

			Irrigated		
12	294/42	Private	Dhanha Irrigated	0.048 (Hectare)	0.048
13	294/43	Private	Dhanha Irrigated	0.012 (Hectare)	0.012
14	294/44	Private	Dhanha Irrigated	0.048 (Hectare)	0.048
15	294/45	Private	Dhanha Irrigated	0.04 (Hectare)	0.04
16	294/46	Private	Dhanha Irrigated	0.04 (Hectare)	0.04
17	294/47	Private	Dhanha Irrigated	0.04 (Hectare)	0.04
18	294/48	Private	Dhanha Irrigated	0.04 (Hectare)	0.04
19	313/16	Private	Dhanha Non-Irrigated	0.02 (Hectare)	0.02
20	315/3	Private	Dhanha Non-Irrigated	0.098 (Hectare)	0.098
21	54/17	Private	Padat	0.028 (Hectare)	0.028
22	54/6	Private	Dhanha Irrigated	0.012 (Hectare)	0.012
Village: BERODA					
23	30/2	Private	Irrigated Single Crop	0.049 (Hectare)	0.049
24	31/14	Private	Dhanha Irrigated Single Crop	0.073 (Hectare)	0.073
25	31/15	Private	Dhanha Irrigated Single Crop	0.19 (Hectare)	0.19
26	317/8	Private	Dhanha Irrigated Single Crop	0.057 (Hectare)	0.057
27	317/9	Private	Dhanha Irrigated Single Crop	0.052 (Hectare)	0.052
28	336/4	Private	Dhanha Irrigated Single Crop	0.109 (Hectare)	0.109
29	336/8	Private	Dhanha Irrigated Single Crop	0.109 (Hectare)	0.109
30	336/9	Private	Dhanha Irrigated Single Crop	0.109 (Hectare)	0.109
31	35/5	Private	Dhanha Irrigated Single Crop	0.082 (Hectare)	0.082
32	35/7	Private	Dhanha Irrigated Single Crop	0.04 (Hectare)	0.04
33	408/1	Private	Dhanha	0.023 (Hectare)	0.023

			Irrigated Single Crop		
34	412/4	Private	Dhanha Irrigated Single Crop	0.03 (Hectare)	0.03
Village: KENDRI					
35	347/4	Private	Irrigated Single Crop	0.0086 (Hectare)	0.0086
36	347/5	Private	Irrigated Single Crop	0.061 (Hectare)	0.061
37	348/1	Private	Irrigated Single Crop	0.012 (Hectare)	0.012
38	351/1	Private	Irrigated Single Crop	0.034 (Hectare)	0.034
39	356/2	Private	Irrigated Single Crop	0.0171 (Hectare)	0.0171
40	358/2	Private	Irrigated Single Crop	0.0425 (Hectare)	0.0425
41	358/3	Private	Irrigated Single Crop	0.0378 (Hectare)	0.0378
42	393/2 392/2	Private	Irrigated Single Crop	0.0408 (Hectare)	0.0408
43	399/1	Private	Irrigated Single Crop	0.0171 (Hectare)	0.0171
44	399/2	Private	Irrigated Single Crop	0.0437 (Hectare)	0.0437
45	400/2	Private	Irrigated Single Crop	0.0504 (Hectare)	0.0504
46	400/4	Private	Irrigated Single Crop	0.0285 (Hectare)	0.0285
47	400/5	Private	Irrigated Single Crop	0.0216 (Hectare)	0.0216
48	400/6	Private	Irrigated Single Crop	0.054 (Hectare)	0.054
49	400/7	Private	Irrigated Single Crop	0.0476 (Hectare)	0.0476
50	405/1	Private	Irrigated Single Crop	0.056 (Hectare)	0.056
51	405/3	Private	Irrigated Single Crop	0.0392 (Hectare)	0.0392
52	405/5	Private	Irrigated Single Crop	0.0408 (Hectare)	0.0408
53	405/6	Private	Irrigated Single Crop	0.048 (Hectare)	0.048
54	412/2	Private	Irrigated Single Crop	0.0704 (Hectare)	0.0704
55	412/5	Private	Irrigated Single Crop	0.066 (Hectare)	0.066
56	413/5	Private	Irrigated Single Crop	0.066 (Hectare)	0.066
57	415/1	Private	Irrigated Single Crop	0.01 (Hectare)	0.01

58	416/2	Private	Irrigated Single Crop	0.0007 (Hectare)	0.0007
59	416/4	Private	Irrigated Single Crop	0.0024 (Hectare)	0.0024
60	417/1	Private	Irrigated Single Crop	0.06 (Hectare)	0.06
61	417/3	Private	Irrigated Single Crop	0.048 (Hectare)	0.048
62	420/6	Private	Irrigated Single Crop	0.009 (Hectare)	0.009
63	420/7	Private	Irrigated Single Crop	0.0168 (Hectare)	0.0168
Village: JHANKI					
64	16/1	Private	Irrigated Single Crop	0.005 (Hectare)	0.005
65	545/13	Private	Padat	0.015 (Hectare)	0.015
66	598/1	Private	Irrigated Single Crop	0.041 (Hectare)	0.041
67	603	Private	Padat	0.24 (Hectare)	0.24
68	604	Private	Padat	0.28 (Hectare)	0.28
Total					3.5985

[F. No. : 597/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director